भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय–पत्र

लेख्य पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: निजामपुर महीगवां
4.	सम्पत्ति का विवरण	: भूमि खसरा संख्या–129, 130 व
	(सम्पत्ति संख्या)	131

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5.	भूमि की इकाई	: हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.0165 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेडों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
9.	बोरिंग/कूप/अन्य	: कुछ भी नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रु0 1,54,969/-
11.	मालियत	: रु0 3,79,500
12.	स्टाम्प	: रु0 26,000/-

[illegible] ____________ [illegible]

[illegible] ____________ [illegible]

[illegible] ____________ [illegible]

[illegible] ____________ [illegible]

____________ [illegible]

[illegible] ____________

[illegible]

[illegible] - 109

[illegible] 21-3-2014

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 654957

चौहद्दी

खसरा नं०–129

पूरब	: खसरा संख्या–132
पश्चिम	: खसरा संख्या–128
उत्तर	: खसरा संख्या–130
दक्षिण	: खसरा संख्या–128

खसरा नं०–130

पूरब	: खसरा संख्या–132
पश्चिम	: खसरा संख्या–128
उत्तर	: खसरा संख्या–131
दक्षिण	: खसरा संख्या–129

क्रम संख्या ______ 3/1/2/...

स्टाम्प विक्रय की तिथि ______ 11-7-14 — 12

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ______

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता ______ A.P.S.L

______

स्टाम्प की धनराशि ______ 2,000

श्री [illegible] स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस संख्या [illegible]

अवधि [illegible] 31-3-2014

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 653985

4

खसरा नं0–137

पूरब	:	खसरा संख्या–124
पश्चिम	:	खसरा संख्या–125
उत्तर	:	खसरा संख्या–125
दक्षिण	:	खसरा संख्या–138

[illegible] ... 11-12-17

[illegible] 2016

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 552[illegible]54

[illegible] OCT. 20[illegible]

-5-

प्रथम पक्ष की संख्या–01	:	द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीमती कमलावती पत्नी स्व० सुखलाल पुत्री [illegible], निवासिनी–खुर्रमनगर, लखनऊ।	:	अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 115 अन्सल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली पैन नं0–AAACA0000D) व शाखा–कार्यालय सुभिष नगर, वाई0एम0 सी0ए0 सेन्टर, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना।

[illegible] 9/27 [illegible]

[illegible]

[illegible] 2016

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीमती कमलावती पत्नी स्व० खुशहाल पुत्री चन्द्रिका, निवासिनी–खुशहालगंज, लखनऊ, जिन्हे आगे 'विक्रेता' कहा गया है, एवं अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 115 अन्सल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली (पैन नं0–AAACA0080D) व शाखा–कार्यालय तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना, जिन्हे आगे 'क्रेता' कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-1-

यह कि विक्रेता मुर्ई भूमि खाता संख्या–00194 खसरा संख्या–129 रकबा 0.007 हेक्टेयर, खसरा संख्या–130 रकबा 0.021 हेक्टेयर व खसरा संख्या 131 रकबा 0.038 हेक्टेयर, कुल तीन किता व कुल रकबा 0.066 हेक्टेयर का 1/4 भाग यानी रकबा 0.0165 हेक्टेयर, स्थित ग्राम–निजामपुर [illegible], परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, काबिज व काबिज है। उक्त अराजी विक्रेता को [illegible] प्राप्त हुई है तथा [illegible] खतौनी फसली वर्ष 1419 से 1424 के खाता खतौनी खाता संख्या–00194 के अनुसार विक्रेता का नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त अराजी आज तक विक्रेता

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3T 100575

की कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और वो कहीं विक्रय, हिबा, रहननामा, कुर्की, व इन्तकाल आदि से बाधित नहीं है। विक्रीत आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बहक मुकिर कुल विक्रेता की उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरी व रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना कोई किसी चीज व हक के खुद लाभ व सामानत बिना किसी दबाव के, बाबत मुबलिग रु0 1,54,859/- (रुपये एक लाख चौवन हजार आठ सौ उनसठ मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कराई किया, और कुल विक्रय धनराशि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ग्राम - [illegible] खसरा [illegible] रकबा [illegible] Bo, 121

विक्रेता = श्रीमती [illegible]

क्रेता — A.P.I.L

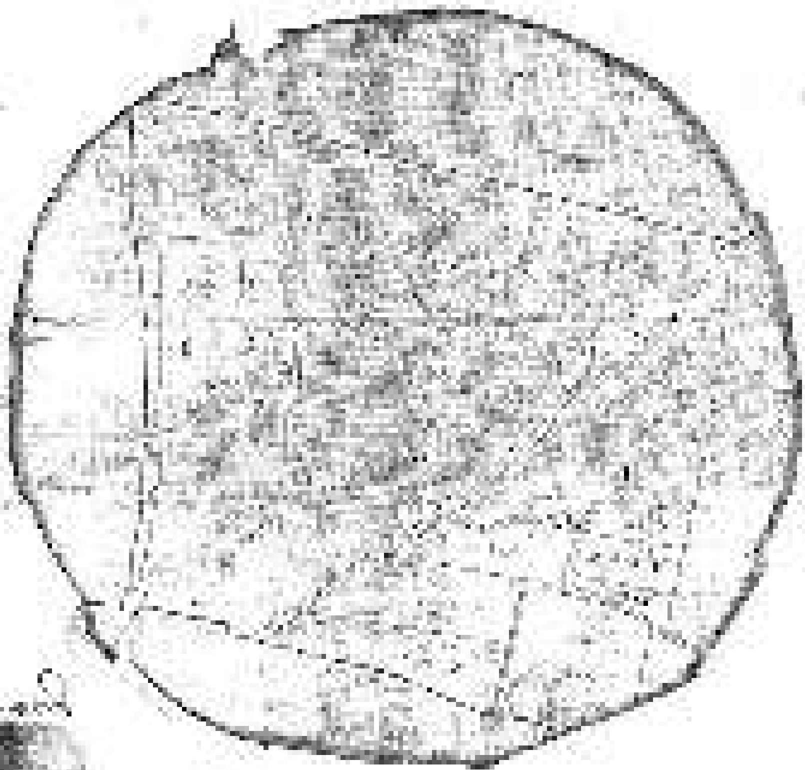

विक्रेता

[illegible]

क्रेता

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2012

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2012

कब्जा व दखल मालिकाना आराजी मजकूरा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का बाकाइदा मकबूजी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा निस्बत आराजी मजकूरा व जिम्न मतरुका के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी मजकूर पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कोई विवाद, लिन, अण्डार, कुर्की व जमानत आदि में शामिल पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना- बिजनौर के अनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर

निगम सीमा से बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की मालियत डीएम 35,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है परन्तु विक्रीत भूमि 5 बिस्वा से कम है जिसकी आवासीय दर रू0 2,300/- प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत आराजी रकबा 0.0165 हेक्टेयर अर्थात 165 वर्गमीटर की मालियत रू0 3,79,500/- होती है, जो कि घोषित मूल्य से अधिक है। अतः नियमानुसार मालियत पर ही 70 रूपये प्रति हजार की दर से रू0 26,600/- का स्टाम्प शुल्क क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग शहीद पथ से लगभग 1 किमी से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहित नहीं है।

विवरण भुगतान

विक्रेता ने कुल विक्रय मूल्य रू0 1,54,8[illegible]/- (लिखित एक लाख चौवन हजार आठ सौ [illegible] मात्र) नगद, क्रेता से प्राप्त कर लिया है।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी नाजायज दबाव के क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

For Awas Prosthan & Infratech Ltd.

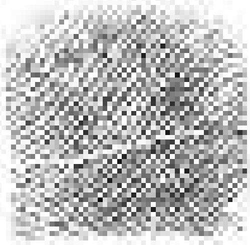

1

अतः प्रथम उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इस विक्रय विलेख को निष्पादित किया।

दिनांक : 11.10.2012

लखनऊ

गवाहान:-

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेता

[illegible]

क्रेता

कम्पनी पैन नं0-AAACA0006D

टंकणकर्ता :

[illegible] अली

[illegible]

मसौदाकर्ता :

विश्वनाथ यादव

एडवोकेट

सिविल कोर्ट, लखनऊ

[illegible] 11/10/2012 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 14812

[illegible] 227 [illegible] 248 [illegible] 18254

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]